भारत सरकार
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
नीति एवं योजना प्रभाग
"एनडीएमए भवन", ए–1, सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली – 110029.

सं० 1–29/2020–पीपी (खंड II) दिनांक : 24 मार्च, 2020

आदेश

जबकि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन इस तथ्य से सहमत है कि देश को कोविड–19 के प्रसार का खतरा है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक महामारी घोषित किया गया है, और देश भर में इसके प्रसार को रोकने के लिए और खतरनाक आपदा स्थिति प्रशमन के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है।

और जबकि, देशों के वैश्विक अनुभावों को देखते हुए विशेषज्ञ, जो कुछ अन्य लोगों की तुलना में कोविड–19 के प्रसार को रोकने में सफल रहे हैं, जहां हजारों लोग मारे गए थे, ने सलाह दी है कि इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी के लिए प्रभावी उपाय किया जाए।

और जबकि, स्वास्थ्य सेवाओं सहित आवश्यक सेवाओं के देखभाल को सुनश्चित करते हुए देश भर में विभिन्न उपायों के लागू करने और कार्यान्वयन करने में निरंतरता की आवश्यकता है।

अब, इसिलए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(i) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को देश में कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने का निर्देश देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(1) के तहत आवश्यक दिशानिर्देशों को तुरंत जारी किए जाएंगे। इन उपायों को 25 मार्च, 2020 से इक्कीस दिनों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।

सदस्य सचिव, एनडीएमए

सेवा में

केंद्रीय गृह सचिव,
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–110001